राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, नरेगा)

क्रमांक एफ 40(14) ग्रावि/नरेगा/तक.मार्ग/पार्ट–2/2011 जयपुर, दिनांकः–

25 JUL 12

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
जिला परिषद, जोधपुर।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रेवल सडकों के निर्माण हेतु सहमति के अनुबन्ध के आधार पर स्वीकृति बाबत्।
प्रसंग :– आपका पत्रांक म.गां. नरेगा/अभि./11–12/9574/ दि. 26.12.2011 एवं पत्रांक 2017 दि. 07.02.2012

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा अवगत कराया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना अन्तर्गत ग्रेवल सडकों के कार्यों में सरकारी कटाण मार्ग के नहीं होने अथवा मार्ग तरमीम नहीं होने की दशा में सहमति से अनुबन्ध के आधार पर कार्य करवाने बाबत् मार्गदर्शन चाहा गया है।

उपरोक्त संदर्भ में निवेदन है कि इस प्रकरण के सम्बन्ध में **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में धारा 251 व 251 (क) में संशोधन** किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दि. 18.01.2012 एवं 02.03.2012 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(खजान सिंह)
परि.निदे. एवं पदेश उपसचिव,ईजीएस

प्रतिलिपि :–समस्त जिला कार्यकम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान को सूचनार्थ प्रेषित है।

परि.निदे. एवं पदेश उपसचिव, ईजीएस

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

7133
23/7/12

विषय :– Rajasthan Tenancy Act, Rajasthan Land Revenue Act में सरकारी कटान मार्ग नही होने अथवा मार्ग तरमीम नही होने की स्थिति में कार्यवाही किये जाने बाबत जारी किये गये संशोधित सहित वर्तमान प्रावधान की प्रति उपलब्ध कराने बाबत्।

सन्दर्भ :– आपका अ.शा. टीप क्रमांक 40(14) ग्रावि / नरेगा / तक.मा. / पार्ट– II / 2010 दिनांक 21.06.2012 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में धारा 251 व 251 (क) में संशोधन किया गया है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.01.12 व दिनांक 02.03.12 जारी की गयी है जिसकी प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

AEn (N)
24/7/12

उप शासन सचिव

परि.निदे एवं उपसचिव, ईजीएस
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3 नरेगा)

अ.शा. पत्र क्रमांक 3(45)राज–6 / 2012
जयपुर दिनांक 23/7/12

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 28, बुधवार, शाके 1933–जनवरी 18, 2012

Pausa 28, Wednesday, Saka 1933–January 18, 2012

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, January 18, 2012

No. F. 2 (24) Vidhi/2/2010.–The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the President on the 8th day of January, 2012 is hereby published for general information:-

THE RAJASTHAN TENANCY (AMENDMENT) ACT, 2010

(Act No. 1 of 2012)

[Received the assent of the President on the 8th day of January, 2012]

An

Act

further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. **Short title and commencement.**–(1) This Act may be called the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force at once.

2. Insertion of new section 251-A, Rajasthan Act No. 3 of 1955.–After the existing section 251 and before the existing section 252 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955), hereinafter referred to as the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"251-A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another Khatedar's holding or enlarging the existing way.- (1) Where-

(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or

(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings-

and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved-

may, by order, allow the applicant , to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way, not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by

the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.".

3. Amendment of Third Schedule, Rajasthan Act No. 3 of 1955.–In Part II-'Application' of the Third Schedule of the principal Act, after the existing entry at serial number 81 and before the existing entry at serial number 82, the following new entry shall be inserted, namely:-

"81.A	251-A	Application for laying underground pipeline or opening a new way through another Khatedar's holding or enlarging or widening the existing way	None	None	One rupee	Sub-Divisional Officer".

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 18, 2012

संख्या प. 2(24) विधि/2/2010:-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान टेनेन्सी (अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2010 (एक्ट नं. 1 ऑफ 2012)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 2010

(2012 का अधिनियम संख्यांक 1)

(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 8 जनवरी, 2012 को प्राप्त हुई)

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1955 के राजस्थान अधिनियम सं 3 में नयी धारा 251-क का अंत:स्थापन.-राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 251 के पश्चात् और विद्यमान धारा 252 के पूर्व निम्नलिखित नयी धारा अंत:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"251-क. अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार

करना.-(1) जहां-

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है; या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप-खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप-खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है -

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप-खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।"।

3. 1955 के राजस्थान अधिनियम सं 3 की तृतीय अनुसूची में संशोधन.-मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची के भाग-2-'आवेदन' में क्रम सं. 81 पर विद्यमान प्रविष्टि के पश्चात् और क्रम सं 82 पर विद्यमान प्रविष्टि के पूर्व निम्नलिखित नयी प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"81.क	251-क	अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने के लिए आवेदन	कोई नहीं	कोई नहीं	एक रुपया	उप-खण्ड अधिकारी"।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

6
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

[illegible] क्रमांक एफ.3(2)रेवे 6/03 पार्ट/7 दिनांक 02.03.2012 [illegible]

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

g-A-12

क्रमांक:–एफ.3(2)रेवे–6/03 पार्ट/7 जयपुर, दिनांक:–02.03.2012

Rev

अधिसूचना

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 257 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अभिधृति (सरकार) नियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त अधिनियम की धारा 259 की उप–धारा(1) के परन्तुक के अनुसरण में इसके द्वारा आदेश देती है कि इन नियमों के पूर्व प्रकाशन को अभिमुक्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार का यह विचार है कि इन्हें तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभिधृति (सरकार) नियम, 2012 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. अध्याय 12 का जोड़ा जाना.– राजस्थान अभिधृति (सरकार) नियम, 1955, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान अध्याय 11 के पश्चात् , निम्नलिखित नया अध्याय 12 जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"अध्याय 12

अधिनियम की धारा 251–क के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम

68. धारा 251–क के अधीन आवेदन.– अधिनियम की धारा 251–क की उप–धारा (1) के अधीन अनुज्ञा की मंजूरी के लिए कोई आवेदन प्ररूप–I में होगा।

69. आवेदन की जांच और निपटारा.– प्ररूप–I में किसी आवेदन की प्राप्ति पर, उप–खण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी, जो निरीक्षक, भूमि अभिलेख से अनिम्न रैंक का न हो, से निरीक्षण करवायेगा और प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप आमंत्रित करेगा। उप–खण्ड अधिकारी का पक्षकारों को सुनवायी का युक्तियुक्त अवसर देने और ऐसी और जांच, जो वह ठीक समझे, करने के पश्चात् यदि समाधान हो जाता है कि :–

(i) यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

(ii) अन्य खातेदार की जोत से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया जाता है–

तो वह आवेदन अनुज्ञात कर सकेगा। आवेदन उप–खण्ड अधिकारी द्वारा, आवेदन की तारीख से 90 दिन के भीतर, विनिश्चित किया जायेगा।

70. प्रतिकर का अवधारण.– (1) ... धारा 251–क की उप–धारा (1) के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम, निम्नलि... अवधारित की जायेगी :–

(i) यदि पक्षकार, प्रतिकर ... रकम पर–आपस में सहमत हो जाते हैं तो उप–खण्ड अधिकारी आपसी करार के अनुसार प्रतिकर की रकम विनिश्चित करेगा।

(ii) यदि पक्षकार, प्रतिकर की रकम पर आपस में सहमत नहीं होते हैं तो उप–खण्ड अधिकारी निम्नलिखित के समतुल्य भूमि के लिए प्रतिकर की रकम अवधारित करेगा–

(क) राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरों या किसी नये मार्ग के खोलने या किसी विद्यमान मार्ग के विस्तार या चौड़ा करने के मामले में, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप–नियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का दुगना ; और

(ख) राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी दरों या भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के मामले में, राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप–नियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अवधारित दरों का 10 प्रतिशत।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त, यदि खड़े वृक्ष, फसल या संरचना को हटाने के कारण कोई हानि या नुकसान होता है तो वास्तविक हानि या नुकसान की रकम भी अवधारित की जायेगी।"

3. प्ररूप–ञ का जोड़ा जाना.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

"प्ररूप–ञ
(नियम 68 देखिए)

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 251–क की उप–धारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन।

प्रेषिती,

उप–खण्ड अधिकारी
उप खण्ड ....
जिला ....

श्रीमान्

(1) मैं/हम आपके उप–खण्ड में भूमि धारण कर रहा/रहे खातेदार अभिधारी हूं/हैं और मैं/हम सिंचाई/मेरी/हमारी जोत में पहुंच के प्रयोजन के लिए .... की जोत में

भूगिगत पाइपलाइन बिछाने/नया मार्ग खोलने/विद्यमान मार्ग का विस्तार करने या चौड़ा करने का आशय रखता हूं/रखते हैं और इसलिये मैं/हम, राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 251 क की उप–धारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं।

(2) अपेक्षित विशिष्टियां निम्नानुसार है :

(i) आवेदक (आवेदकों) का नाम, माता–पिता का नाम और आयु ;

(ii) आवेदक (आवेदकों) का पूरा पता ;

(iii) जोत की विशिष्टियां जिसके लिए आवेदन किया है ;

(क) उप–खण्ड के नाम सहित ग्राम का नाम जिसमें जोत स्थित है .....

(ख) एकड़/बीघा में क्षेत्रफल सहित खसरा संख्या ....

(iv) अन्य खातेदार (खातेदारों) की जोत की विशिष्टियां जिनमें से अपेक्षित भूमिगत पाइपलाइन बिछाने /नया मार्ग खोलने/किसी विद्यमान मार्ग का विस्तार करने या चौड़ा करने का आशय रखता है

(क) नाम, माता–पिता का नाम और आयु ;

(ख) पूरा पता ;

(ग) उप–खण्ड के नाम सहित ग्राम का नाम जिसमें धृति स्थित है ;

(घ) एकड़/बीघा में क्षेत्रफल सहित खसरा संख्या।

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

राज्यपाल के आदेश से,

Sd/-

(जी.डी. आर्य)

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

राजस्व(गुप–6)विभाग

क्रमांक: प03(2)राज 6/03/पार्ट/34 जयपुर, दिनांक :–29.03.2012

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को इस विभाग की समसंख्यक अंग्रेजी अधिसूचना दिनांक 02.03.2012 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–.

1. निजी सचिव, मुख्य मंत्री।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव राजस्व।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।

7. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 29.03.2012 में प्रकाशन हेतु।
9. संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायधीश पुस्तकालय) उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
10. "सचिव" राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।
11. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
12. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

कार्यालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

क्रमांक :– एफ.12(1)(6)राज./94/1355-71   दिनांक :– 11 – अप्रेल, 2012

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवम् पालनार्थ :–

1. शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर को उनकी अधिसूचना क्रमांक एफ.3(2) रेवे–6/03 पार्ट/7 जयपुर दिनांक 02.03.2012 के सन्दर्भ में सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व-लेखा अनुभाग कलैक्ट्रेट हनुमानगढ़।
3. अति. जिला कलक्टर नोहर।
4. उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़/पीलीबंगा/संगरिया/टिब्बी/रावतसर/नोहर/भादरा।
5. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़/पीलीबंगा/संगरिया/टिब्बी/रावतसर/नोहर/भादरा।

कृते जिला कलक्टर,
हनुमानगढ़

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
REVENUE (Gr-6) DEPARTMENT

NO F.3(2) Rev.6/03/pt./ 7 Jaipur, Dated: 2.3.2012

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 257 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act no. 3 of 1955), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 and in pursuance of the proviso to sub-section (1) of section 259 of the said Act, hereby orders that previous publication of these rules is dispensed with as the State Government considers that they should be brought into force at once, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Tenancy (Government) (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force at once.

2. Addition of Chapter XII.- After the existing Chapter XI of the Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955, hereinafter referred to as the said rules, the following new Chapter XII shall be added, namely:-

"CHAPTER XII

Rules to give effect to the provisions of section 251-A of the Act

68. Application under section 251-A.- An application for grant of permission under sub-section (1) of 251-A of the Act shall be in Form I.

69. Enquiry and disposal of application.- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved,

may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation.- (1) The amount of compensation payable under sub-section (1) of section 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:–

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to -

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (1) of rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined."

3. Addition of FORM I.- After the existing Form H appended to the said rules, the following new Form I shall be added, namely:-

"**FORM I**
(See rules 68)

Application
for permission under sub-section (1) of section 251-A of
the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

To,

The Sub-Divisional Officer
Sub-division .....
District .....

Sir,

(1) I/we am/are khatedar tenant(s) holding land in your sub-division and I/we intend to lay an underground pipeline/new way/ enlargement or widening of an existing

way through the holding of ..... for the purpose of irrigation /access in my/our holding and I/we therefore , apply for permission under sub-section (2) of section 251-A of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955).

(2) The required particulars are given below:

(i) Name, parentage and age of the applicant(s);

(ii) Full address of the applicant(s);

(iii) Particulars of applicant holding;

(a) name of village with name of sub-division in which holding is situated.....

(b) khasra number with area in acres/bighas.....

(iv) Particulars of another khatedar(s) holding through which intends to lay underground pipeline/new way/ enlargement or widening of an existing way required.

(a) Name, parentage and age;

(b) Full address;

(c) name of village with name of sub-division in which holding is situated;

(d) khasra number with area in acres/bighas.

Signature of Applicant(s)"

By order of the Governor,

2.3.2012

(G. D. Arya)
Deputy Secretary to Government

Copy :- forward to the following for information and necessary action:-

1 - P.S. to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan Japer.
2 - S.A. to Hon'ble Revenue Minister, Rajasthan Jaipur.
3 - P.S. to Chief Secretary, Rajasthan Jaipur.
4 - P.S. to Principal Secretary, Revenue Department, Jaipur.
5 - All Divisional Commissioners. Rajasthan
6 - All Collectors, Rajasthan
7 - Deputy Accountant General,SRA, Rajasthan, Jaipur.

8 - Registrar, Board of Revenue, Rajasthan, Ajmer.
9 -Director Printing and Stationary department for publication of the Notification in the Rajasthan Gazettee dated 2-3-2012 alongwith additional copies.
10 - Director, Public Relation, Rajasthan ,Jaipur
11 - "RAVIRA" Board of Revenue, Raj., Ajmer.
12 - Dy. Registrar (F&A), Board of Revenue, Ajmer.
13 - Director, Information & Technology (Computor), Jaipur.
14 - Joint Registrar, Library Judges, Supreme Court, New Dehli
15 - All Dy. Secretaries, Department of Revenue .
16 - Dy- Secretary, Revenue (G-1) Department for uploding on website.
17 - Guard file.

2.3.2012

Dy. Secretary to the Government